



सदा-ए-हुसैनी

SADA-E-HUSSAINI

PEOPLE
POLICY
PROGRESS
A STRONGER
TOMORROW
TOGETHER



उर्दू डेली

हिंदी ईवनिंग ऑनलाइन एडिशन

epaper.sadaehussaini.com.

Monday, 28, Sep, 2026.

Gmail: sadaehussaini@gmail.com

AIMIM में बदलाव

AIMIM ने किए बड़े बदलाव, नए महासचिव की नियुक्ति

सैयद मुश्ताक अहमद को पार्टी का संयुक्त सचिव बनाया गया

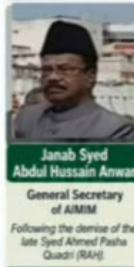
हैदराबाद, 28 सितंबर :

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने सोमवार, 28 सितंबर को नए नियुक्तियों की घोषणा करते हुए प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में अहम कदम उठाया है।

सैयद अब्दुल हुसैन अनवर को पार्टी का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह पद सैयद अहमद पासा कादरी के पास था, जिनका इस साल फरवरी में निधन हो गया था।

सैयद मुश्ताक अहमद को संयुक्त सचिव और मोहसिन बालाला को पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, अबू तालहा अजीम को पार्टी से जुड़े मामलों के प्रबंधन के लिए समाद खिन अब्दाद का सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह जानकारी पार्टी के प्रेस रिलीज में दी गई है।



Following the demise of the late Syed Ahmed Pasha Quadri (RAH).

General Secretary of AIMIM

Joint Secretary of the party.

Treasurer of the party.

Will assist Janab Samad Bin Abbad in matters related to party organisation.

पोन्म प्रभाकर ने हैदराबाद में महिला शक्ति कैंटीन का किया उद्घाटन

कहा - गरीब और कामकाजी लोगों को ₹5 में मिलेगी गुणवत्तापूर्ण भोजन, महिलाओं के लिए बनेगा स्वरोजगार का माध्यम

हैदराबाद, 28 सितंबर :

तेलंगाना पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्म प्रभाकर ने सोमवार, 28 सितंबर को हैदराबाद के बाग लिंगमाल्ली स्थित सुदरव्या विज्ञान केंद्र के पास इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि इन कैंटीनों को महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और गरीब व कामकाजी लोगों को ₹5 में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध होगा। साथ ही यह पहल महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।



- महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और अधिक महिलाओं को SHG से जोड़ने की अपील
- महिला समूहों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं समेत अन्य योजनाओं से भी रोजगार के अवसर
- 600 बसों की मालिकाना हक के लिए महिला समूहों को RTC बसों
- शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना का विस्तार करने पर विचार

कैश-फॉर-वोट मामले में रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत ₹50 लाख की अटैचमेंट रद्द

ट्रिब्यूनल ने ईडी के आदेश को किया खारिज

हैदराबाद, 28 सितंबर :

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और तीन अन्य को स्पेशल फॉरेंसिक अथॉरिटी (SAFEMA) के अपीलीय ट्रिब्यूनल से 2015 के मामले में बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने ईडी द्वारा 50 लाख रुपये की अटैचमेंट की पुष्टि करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है।

यह आदेश 14 सितंबर को नई दिल्ली स्थित ट्रिब्यूनल द्वारा जस्टिस मुनिश्वर नाथ भंडारी की अध्यक्षता में पारित किया गया था। रेवंत रेड्डी, वेम कृष्ण कीर्तन, रुद्र शिवकुमार उदय सिंह और बिशप हेनरी सेबेस्टियन ने 8 फरवरी 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें ईडी की 25 मई 2021 को की गई अस्थायी अटैचमेंट को सही ठहराया गया था।



ट्रिब्यूनल ने बताया क्यों रद्द की गई अटैचमेंट

ट्रिब्यूनल ने कहा कि चूंकि ₹50 लाख पहले से ही कोर्ट में सुरक्षित है, इसलिए अपीलकर्ताओं के द्वारा इस धनराशि के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है। इसलिए ईडी इस राशि को जप्त नहीं कर सकती और अटैचमेंट की पुष्टि का आदेश रद्द किया गया।

कैश-फॉर-वोट मामले में अन्य आरोपी

हैदराबाद एसीबी ने 31 मई 2015 को ₹5 करोड़ की रिश्त के आरोप में मामला दर्ज किया था। उस समय रेवंत रेड्डी टीडीपी विधायक थे। वेम नरेन्द्र रेड्डी पार्टी के उम्मीदवार थे। एसीबी के अनुसार, रेवंत रेड्डी, बिशप हेनरी सेबेस्टियन और रुद्र उदय सिंह ने विधायक एल्विस स्टीफनसन को 50 लाख रुपये की रिश्त की पेशकश की थी। एसीबी ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और ₹50 लाख जब्त किए थे।

खैरताबाद विधानसभा सीट अधिकारिक रूप से हुई खाली

दानम नागेंद्र समेत 10 विधायक BRS से कांग्रेस में शामिल हुए थे

हैदराबाद, 28 सितंबर :

तेलंगाना विधानसभा सचिवालय ने सोमवार, 28 सितंबर को खैरताबाद विधानसभा सीट को खाली घोषित करते हुए उपचुनाव के लिए रास्ता साफ कर दिया। यह नोटिफिकेशन विधानसभा सचिव रेखला तिवर्त ने दिए गए संविधान के दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) और अनुच्छेद 191(2) के तहत जारी किया।

दानम नागेंद्र को तेलंगाना हाई कोर्ट ने दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराते हुए विधायक पद से हटा दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

पुष्पधर

नागेंद्र ने 2023 के विधानसभा चुनावों में BRS के टिकट पर खैरताबाद से जीत दर्ज की थी। उन्होंने मार्च 2024 में कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया था, जिसने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में वे शामिल हुए थे।



दानम नागेंद्र (पूर्व विधायक, खैरताबाद)

खाली होने की बजाह

- 2023 चुनाव में BRS से जीत
- 2024 में कांग्रेस में शामिल
- हाई कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय बरकरार रखा